क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रतिवादीगण की तरफ से एक भी तामीला पेश नहीं किये। वकील वादी को दिनांक 23/7/21, 19/1/23, 25/5/23, 11/8/23 को तरफ हेतु तामीला पेश करने हेतु न्यायहित मे अन्तिम अवसर दिये गये। अब न्यायहित मे एक और अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दि० 30/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	30/5/24	पत्रावली पीठासीन साहब व्यस्त है। अतः दिनांक 14/6/24 को पेश हो।
	14/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। नोटिस तलबाना पेश किया। नोटिस जारी हो। वकील वादी आगामी तारीख डाक रसीद पेश करने व पत्रावली वास्ते पेश होने हेतु रसीद दिनांक 12/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	12/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी क्र. 1 से 5 वादग्रस्त भूमि उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध कार्यवाही अगले नोटिस जारी वकील वादी को कल अन्तिम अवसर दिया गया। वादी के वकील द्वारा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत विधि प्रपत्र में लिखकर जमा कराया। पत्रावली लिया गया। पत्रावली नैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्रावली
40/5-16
14/6/24

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

लछमा बनाम भगवान सहाय

क्र. संख्या	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2024	पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित, प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादी की की बहस वाद में सुनी गई। दौराने बहस वादी ने प्रार्थन पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि हाल खाता संख्या 7 के हाल खसरा नम्बर 90 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 91 रकबा 1.14 है०, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 107 रकबा 0.35 है०, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 427 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 833/1233 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 894/1234 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 896/1235 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 933 रकबा 0.28 है0 कुल 12 हैक्टयर रकबा 2.64 हैक्टयर ग्राम श्रीराम की नागल पटवार क्षेत्र श्रीराम की [illegible] भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगनेर जिला जयपुर [illegible] को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए प्रतिवादी [illegible] को आदेशित किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि मे वादिया का नाम [illegible] वादग्रस्त भूमि का तकासमा कर वादिया का अलग से खाता [illegible] अलग से लगान निर्धारित किया जावें। प्रतिवादीगण को इस आशय [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दिये कि प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 5 [illegible] वादग्रस्त भूमि मे वादिया के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग व काश्त [illegible] किसी प्रकार की बाधा कारित न करें वादग्रस्त भूमि से वादिया को बेदखल करने की कार्यवाही न करें, वादग्रस्त भूमि मे किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण न करें तथा वादग्रस्त भूमि के किसी दिगर व्यक्ति या संस्था [illegible] मे किसी प्रकार से विक्रय हस्तान्तरित आदि न करें तथा प्रतिवादी [illegible] को पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र व अन्य प्रकार का हस्तान्तरण पत्र किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के हक मे पजीबद्ध न करें तथा प्रतिवादी संख्या 7 को पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त स्थल की रिकार्ड की यथास्थिती बनाए रखे उसमे किसी प्रकार का रद्धोबदल न करें। बहस वादिया अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में कल्याण पुत्र गोरू के नाम अंकित है। वादिया द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने आप को कल्याण की पुत्री बताते हुये वाद पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 38 के तहत विरासतन अधिकार दिये जाने के प्रावधान है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि वादिया के कथनानुसार वादिया के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होना बताया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में कल्याण पुत्र गौरू के विधिक वारिसान की विस्तृत जाँच कर विधि अनुसार नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को सुना गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:40:57 IST
Reason: SelfAttested